

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं० : 123/2023

अनवान :

विकास पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. रामदेव पुत्र भादर राम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री रामदेव जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपुरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं० 166/321 के खसरा सं० 180 की 2.1880 है०, ख०सं० 214 की 11.407 है०, ख०सं० 477 की 3.7940 है०, ख०सं० 478/1 की 0.2650 है० की कुल 17.6540 है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 रामदेव के नाम 8227/17654 हिस्सा दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 रामदेव अकेले की बजाय वादी विकास व प्रतिवादी सं० 1 रामदेव को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.02.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Preetam
(प्रीतम कुमार) I.A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़